चिपको आन्दोलन और पर्यावरण संरक्षण के प्रति महिलाओं की दृढ़ता : एक ऐतिहासिक अध्ययन

इन्द्रा*

सारांश

चिपको आन्दोलन वर्ष 1974 में उत्तराखंड के चमोली जनपद के रैणी गाँव में प्रारंभ हुआ था। शीघ्र ही यह एक छोटी सी घटना पूरे विश्व में फैल गयी। प्रस्तुत शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य रैणी गाँव की भोली–भाली महिलाओं द्वारा अपने जंगलों को बचाने के लिए किये गये प्रयास को पाठकों के सम्मुख लाना है, जिसे आज भारत ही नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्धि मिली है। गौरा देवी तथा उनके साथियों द्वारा चलाये गए इस आन्दोलन ने सम्पूर्ण विश्व का ध्यान प्रकृति के संरक्षण के प्रति आकर्षित किया। समय बीतता गया और पर्यावरण विशेषज्ञों तथा वैज्ञानिकों ने पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन के नाम पर खूब नाम कमाया लेकिन पूरे विश्व को इतना बड़ा आन्दोलन देने वाली गौरा देवी को किसी ने उतना सम्मान नहीं दिया जिसकी वो हकदार थी। उनके नाम को सेमिनारों तथा शोध पत्रों तक ही स्थान मिला। गौरा देवी को उनके जीवन के अंतिम समय जब पूछा गया कि 'उन्हें इस सात्विक कार्य के लिए कुछ नई उपलब्धि हुई' तो उनका उत्तर था कि 'हमें इस लड़ाई को जीतकर भी कुछ नहीं मिला। अनेक बार लोग हमारे पास आये कि तुम्हारी बात हम विश्व में प्रसारित करेंगे। चिपको आन्दोलन को विश्व आन्दोलन बनायेंगे। आपको इसका यथेष्ठ सम्मान दिलाएंगे। लेकिन कुछ भी नहीं मिला। हमने जो कुछ किया वह हमारा कर्तव्य था। हमने अपने जल, जंगल और जमीन को बचाया। यही सबसे बड़ा काम है। यही सबसे बढ़ा धर्म है।

शब्द संकेत : चिपको आन्दोलन, आन्दोलन के प्रमुख प्रश्न, आन्दोलन के प्रमुख मुद्दे, आन्दोलन का प्रसार।

प्रस्तावना

वर्ष 1974 के जनवरी महीने में उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित गाँव रैणी के जंगल के 2451 पेड़ों को काटने के लिए देहरादून में ठेकेदारी प्रणाली के तहत नीलामी हुई जिसका रैणी गाँव के लोगों द्वारा विरोध किया गया। 15 और 24 मार्च को 1974 को रैणी गाँव के लोगों द्वारा जोशीमठ में विरोध प्रदर्शन किया गया लेकिन ठेकेदारों तथा सरकार पर इसका कोई असर नहीं हुआ और ठेकेदार अपने मजदूरों को लेकर रैणी गाँव के जंगलों में आ गये[1]। गाँव के सभी पुरुषों की अनुपस्थिति में स्थिति का लाभ उठाते हुए ठेकेदारों ने कटान करना प्रारंभ किया ही था कि गाँव की महिलाऐं तथा बच्चे सभी गौरा देवी के नेतृत्व में जंगल में पहुँच गए। महिलाओं तथा ठेकेदारों के मध्य बहुत वाद–विवाद हुआ और महिलाऐं भी निडर होकर अपने जंगल के लिए दृढ़ रहे। अंत में स्थिति जब आर–पार की होने लगी तो सभी महिलाऐं पेड़ों से लिपट गयीं। महिलाओं की दृढ़ संकल्प के आगे ठेकेदारों को अपने मजदूरों संग खाली हाथ लौटना पड़ा। रैणी गाँव की महिलाओं से प्रेरित होकर अनेक जगहों पर अपने जंगलों को बचाने के लिए ऐसे आन्दोलन हुए। रैणी गाँव की भोली–भाली महिलाओं द्वारा किया गया यह साहसिक कार्य पूरे विश्व में पर्यावरण चेतना के नवजागरण के सूत्रपात के रूप में सिद्ध हुआ। इन महिलाओं के प्रयास के परिणाम स्वरूप तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार को ठेका प्रणाली को खत्म करना पड़ा और सरकार ने वन विभाग की स्थापना के लिए कदम उठाया।

चिपको आन्दोलन

भारत प्राचीन काल से ही प्रकृति का पुजारी रहा है। भारत में लोग प्रकृति की पूजा करते हैं। प्रकृति की संपदाएं– जल, वनस्पति आदि भारत में पूजनीय हैं। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति प्रकृति से प्रेम करना और उसकी रक्षा करना सिखाती है। लेकिन विकास की दौड़ ने प्रकृति के साथ छेड़–छाड़ प्रारम्भ कर दी। भारत में प्रकृति का दोहन विदेशी शासन के साथ ही आरंभ हुआ और स्वतंत्रता के बाद तो अत्यधिक बढ़ गया। पर्यावरण मानव के साथ–साथ सम्पूर्ण जीव जगत का पोषक रहा है। आदिकाल से ही मानव के विकास का इतिहास रहा है कि प्रकृति के ही आशीर्वाद से मानव ने पहले शिकार फिर कृषि तथा पशुपालन और वर्तमान विकसित अवस्था तक पंहुचा है। प्रकृति के साथ जब तक मानव का सामंजस्य बना रहता है तब तक उत्तरोत्तर विकास होता है लेकिन जब प्रकृति का अत्यधिक शोषण होने लगता है तो मानव को पर्यावरण सम्बंधित अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

आदिकाल से ही जल, जंगल और जमीन उत्तराखंड के निवासियों के जीवन का एक अभिन्न अंग रहा है। गढ़वाल

* शोधार्थी, इतिहास विभाग, ल.सि.महर परिसर, पिथौरागढ़, सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा

में अंग्रेजों के शासन से पूर्व मानव तथा प्रकृति का संतुलन था परन्तु विल्सन के भागीरथी घाटी में आगमन से क्षेत्र के जंगलों को व्यवसायिक दृष्टि से देखा जाने लगा। यही कारण था कि गढ़वाल के पंवारवंशीय राजाओं ने भी वन विभाग की स्थापना की तथा वनों को व्यवसायिक रूप से विकसित करना प्रारंभ कर दिया। अब यहाँ के जंगलों पर सामान्य जनमानस के स्थान पर राज्य का अधिपत्य स्थापित होने लगा। इसके साथ ही प्राकृतिक संसाधनों का दोहन भी उत्तरोत्तर बढ़ने लगा, फलस्वरूप यहाँ पर यमुना घाटी में तिलारी काण्ड घटित हुआ। आजादी के बाद जंगल सरकार के अधीन आ गये और जनमानस के पास केवल अपने खेत तथा सामुदायिक भूमि ही बची।

गढ़वाल की ग्रामीण इलाकों में रहने वाली महिलाऐं जिनका जंगलों से प्रतिदिन का नाता रहा है वे अपने पशुओं के लिए चारा, इंधन के लिए लकड़ियाँ, कृषि के लिए विभिन्न उपकरणों के लिए जंगल पर निर्भर रहती हैं। इसलिए वे जंगलों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए भी सदैव तत्पर रहती हैं। जब जंगल सामान्य जनमानस के थे तब जंगल से प्राप्त होने वाली समस्त चीजें यथा अन्न, लकड़ियाँ, जड़ी–बूटी, साग–सब्जियां भी ग्रामीणों के ही थे परन्तु जंगलों से अधिकार घटते ही ग्रामीणों को अनेक प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड़ा। इसी का परिणाम था कि यहाँ की महिलाओं ने पर्यावरण व अपने जंगलों को बचाने के लिए अनेक आन्दोलन किये।

वर्ष 1974 के जनवरी महीने में देहरादून में चमोली जनपद के रैणी गाँव के जंगल में 2451 पेड़ों की नीलामी ठेकेदारी प्रणाली के तहत होनी थी जिसका विरोध पहाड़ों में जोर–शोरों से हो रहा था। 15 तथा 24 मार्च 1974 को चमोली के जोशीमठ में तथा 23 मार्च को चमोली जनपद के ही गोपेश्वर में लोगों द्वारा रैणी गाँव के ही जंगलों की कटान के विरोध में धरना–प्रदर्शन किये गए लेकिन इन ठेकेदारों को इसका कोई भी असर नहीं हुआ[2]। जब ठेकेदारों तथा अधिकारीयों को महसूस हो गया कि जब तक इस गाँव में पुरुष मौजूद हैं यहाँ पर पेड़ों को काटना संभव नहीं होगा। उन्होंने बहुत विचार–विमर्श किया और उन्होंने पाया कि गाँव के लोग बहुत समय से अपने जमीन के मुआवजे की मांग कर रहे थे लेकिन किसी ने भी उनकी मांग की तरफ ध्यान नहीं दिया। अतः उन्होंने योजना बनायी कि मुआवजे के लिए पुरुषों को गाँव से बाहर बुलाकर मजदूरों को जंगल में भेजा जाय[3]।

एक सप्ताह के बाद ही सरकार द्वारा घोषणा की गयी कि वर्ष 1962 में भारत–चीन युद्ध के बाद सरकार द्वारा सेना के लिए अधिगृहित भूमि का मुआवजा चमोली में दिया जायेगा[4]। योजना के अनुसार 25 मार्च 1974 को मुआवजा लेने हेतु गाँव के लोगों को गोपेश्वर बुलाया गया और साधारणतया ग्रामीण क्षेत्रों में बाहर का कार्य पुरुष वर्ग ही करते है और ऐसा ही हुआ, रैणी गाँव के सभी पुरुष गोपेश्वर आ गये। रैणी गाँव से गोपेश्वर की दूरी बहुत अधिक है और उन दिनों पैदल मार्ग था। लोगों को आने–जाने में ही 3 दिन लग जाते थे। जैसे ही रैणी गाँव के पुरुष गोपेश्वर गए ठेकेदार भी अपने मजदूरों को लेकर रैणी गाँव में पहुँच गए[5]। 26 मार्च की सुबह ठेकेदार अपने मजदूरों को लेकर जंगल में घुस गए[6]।

ऋषि गंगा के किनारे गगनचुम्बी देवदार, सल्ल, सुरई, कैल, और चिल्ला के पेड़ों के पीछे छुपते–छुपाते ये मजदूर अपने लिए अस्थाई डेरे और खाने की व्यवस्था करने लगे। इसी बीच गाँव में एक बालिका के माध्यम से खबर मिली कि मजदूर जंगलों में घुस आये हैं। गाँव की सभी महिलाऐं एकत्रित हुई और सूचना गाँव के महिला मंडल दल की अध्यक्षा श्रीमती गौरा देवी को दी। अतः साहसी गौरा देवी और उनके साथी भूसी देवी, महा देवी और बत्ती देवी अपने अन्य 21 महिला साथियों तथा उनके बच्चों संग जंगल में पहुंच गयी। जब मजदूर पेड़ काटने लगे तो गौरा देवी के साथ अन्य सभी महिलाओं ने उनसे विनती की कि जब गाँव के पुरुष भी आ जाएँ तभी कार्यवाही करें। सभी महिलाओं ने गौरा देवी के साथ उन मजदूरों से मधुर स्वर में कहा कि– "भाइयों! यह जंगल हमारा और आपका है। इसमें हमें फल, सब्जी, लकड़ी, जड़ी–बूटियाँ आदि सभी प्राप्त होते हैं। यदि आप लोग जंगल काटेंगे तो इससे बाढ़ आएगी और हमारे सभी खेत बह जायेंगे[7]"।

महिलाओं की बातें सुनकर मजदूरों ने अपनी मजबूरी बताई और कहा– "हम लोग तो ठेकेदार के मजदूर हैं यदि आप ठेकेदार से बात करें तो वन कटने से बच जायेगा।" मजदूरों की बात सुनकर सभी महिलाऐं पास के गुफा में आराम कर रहे ठेकेदार तथा वन कर्मियों से विनती की कि– "ठेकेदार साहब! जंगल हमारा मायका है। हम किसी भी हालत में जंगल नहीं कटने देंगे। यदि आपको पेड़ काटने ही हैं तो थोड़ी देर रुको। हमारे साथ इस समय पुरुष नहीं हैं। जब वे आ जायेंगे तो आप उन्हीं से मिलकर जंगल काटने की समस्या हल कर लें। हम उनकी अनुपस्थिति में किसी भी तरह जंगल नहीं काटने देंगे[8]"। जंगलात के आदमियों एवं ठेकेदारों ने इन महिलाओं को कमजोर समझकर उन्हें डराने–धमकाने लगे। जब ये महिलाऐं उनकी इन गीदर भभकियों से नहीं घबराई तो वे सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में गिरफ्तार करने की धमकी देने लगे। ये पहाड़ की निर्भीक महिलाएं इनकी किसी भी धमकी से नहीं डरी[9]।

गढ़वाल में जन्मा, चिपको आन्दोलन तब चर्चा में आया जब उत्तरप्रदेश की तत्कालीन सरकार ने 27 मार्च, 1974 को इलाहबाद की एक खेल–कूद कंपनी को चमोली जनपद के मंडल गाँव में अंगूर के पेड़ों को काटने की अनुमति दे दी परन्तु

गाँव को लोगों द्वारा इसका विरोध किया गया। तत्कालीन सरकार की भेदभावपूर्ण व्यवहार इस बात से भी पुष्टि होती है कि कुछ ही समय पहले गाँव वालों ने बैलों का जुआ बनाने के लिए इन पेड़ों को काटना चाहा तो सरकार ने यह बोलकर उन्हें रोक दिया कि वन विज्ञान की दृष्टि से यह संभव नहीं है। मंडल गाँव के लोगों ने एक स्वर में सरकार से प्रश्न किया कि– "जिन पेड़ों को हमने पाला–पोसा उन पेड़ों को हम अपने जिन्दा रहने के लिए तो नहीं काट सकते, परन्तु यहाँ से बहुत दूर आमोद–प्रमोद के साधनों के निर्माण के लिए उन्हें ठेकेदार को बेचा जा सकता है। यह कैसा विज्ञान है?[10]

मजदूरों द्वारा जब पेड़ों को काटने की कोशिश की गयी तो ये सारी महिलाऐं पेड़ों से लिपट गयीं और कहा कि पेड़ नहीं हम कटेंगे। महिलाओं द्वारा अहिंसात्मक रूप से उठाये गए इस कदम का ठेकेदारों तथा मजदूरों के पास कोई उत्तर नहीं था। एक ठेकेदार ने आक्रोश में आकर एक महिला पर बंदूक तान दी तो उसको महिलाओं का काली माता वाला रूप देखने को मिला। स्थिति की गंभीरता को देख मजदूर और ठेकेदार धीरे–धीरे वहां से निकलने लगे। इन महिलाओं ने मजदूरों के एक अन्य जत्थे को भी रोक दिया जो राशन लेकर जंगलों की ओर जा रहे थे। ये महिलाऐं इन ठेकेदारों के कृत्य से इतने व्यथित थे कि इन्होने ऋषिगंगा के तट पर एक नाले में सीमेंट से बने पुल को भी ध्वस्त कर दिया। इसके साथ ही इन महिलाओं ने सड़क से जंगल को लगने वाले सारे रास्तों को भी अवरुद्ध कर दिया। गौरा देवी के नेतृत्व में महिलाओं ने कुल्हाड़ी लिए पेड़ों से चिपक कर पेड़ों की रक्षा की। शीघ्र ही रैणी गाँव की महिलाओं द्वारा उठाया गया यह साहसिक कदम पूरे विश्व में पर्यावरण चेतना के नवजागरण का सूत्रपात सिद्ध हुआ[11]।

रैणी में हुए आन्दोलन के पश्चात गढ़वाल के अनेक भागों में भी महिलाओं ने पेड़ों से चिपक कर अपने जंगलों के कटान को रोका। वर्ष 1975 में चमोली जनपद के ही गोपेश्वर में वहां की महिलाओं ने चिपको आन्दोलन चलाया। वर्ष 1980 में चमोली जनपद के भ्युंडार क्षेत्र में प्रसिद्ध बद्रीनाथ मंदिर के लिए पेड़ों को काटा जा रहा था लेकिन वहां की महिलाओं ने उन पेड़ो को काटने नहीं दिया। 16 फरवरी 1978 को चमोली जनपद के ही डामरगढ़ में पेड़ों की नीलामी हो रही थी जिसका वहां की महिलाओं द्वारा विरोध किया गया और नीलामी रोक दी गयी। इसके अलावा 25 जनवरी 1979 को चमोली जिले के तीन क्षेत्रों में पेड़ों की छपान को वहां की महिलाओं द्वारा बंद करवाया गया। डुंगी पैतोली क्षेत्र में वानिकी विभाग द्वारा वहां के बांज के वृक्षों को काटा जा रहा था जिसको रोकने के लिए डुंगी पैतोली की महिलाओं ने डी.जी.एस.एम. की सहायता ली। उसके बाद 9 फरवरी 1980 को महिलाओं द्वारा धमकी दी गयी कि अगर बांज के वृक्षों का कटान हुआ तो वे चिपको आन्दोलन करेंगी, जिसका परिणाम यह हुआ कि 18 फरवरी 1980 को डुंगी पैतोली में बांज के वृक्षों के कटान पर रोक लगा दिया गया। अंततः इन महिलाओं के प्रयास के परिणामस्वरूप 9 मार्च 1980 को उच्चस्तरीय समितियों की संतुति के आधार पर जंगलों के कटान पर प्रतिबन्ध लगा[12] और तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार को ठेका प्रणाली को खत्म करना पड़ा। सरकार ने वन विभाग की स्थापना के लिए कदम उठाया।[13]

गौरा देवी तथा उसके साथियों की मेहनत का ही परिणाम था कि चिपको आन्दोलन सफल हुआ और इसने राज्य सरकार को लोगों की बातें सुनने और समझाने हेतु बाध्य किया। विज्ञान की आड़ में वनों का ह्रास स्थानीय लोगों के हितों के विरुद्ध है। चिपको आन्दोलन के बिन्दुओं की जाँच हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रो. बीरेन्द्र कुमार की अध्यक्षता में जांच समिति का गठन किया गया। इस समिति ने माना कि क्षेत्र की संवेदनशीलता की दृष्टि से ऋषिगंगा नदी से लेकर नंदाकिनी नदी के क्षेत्र तक के 1200 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में स्थानीय हक–हकुकों के अलावा पेड़ों के कटान पर रोक लगा दिया जाना चाहिए[14]।

जांच समिति के निष्कर्ष के पश्चात उत्तराखंड के अलग–अलग भागों यथा–टिहरी, नैनीताल, अल्मोड़ा आदि जगहों पर भी चिपको आन्दोलन प्रारम्भ होने लगे। इसके साथ ही पर्यावरणविदों तथा वन वैज्ञानिकों ने भी अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही वन नियमों के विरुद्ध आवाज उठानी शुरू कर दी। वनों के प्रति लोगों में संवेदनशीलता का एक नया दौर प्रारंभ होने लगा। इसका परिणाम यह हुआ कि स्थानीय लोगों के मुद्दे से हटकर यह आन्दोलन वैश्विक रूप में पेड़ों को बचाने, बढ़ाने, और पर्यावरण की चिंता में तब्दील हो गया। स्थानीय लोगों की मांग थी कि वनों के संरक्षण–संवर्धन के साथ ही उपभोग का अधिकार उन्हें मिले।

चिपको आन्दोलनकारियों के प्रमुख प्रश्न

चिपको आन्दोलन के प्रमुख मुद्दे थे कि स्थानीय लोगों की संवेदनशीलता को ध्यान में रखने के साथ ही ग्रामीणों की आजीविका का ध्यान रखा जाए। महिलाओं की जंगलों के उपभोग के अधिकारों, अधिकारीयों के मनमाने व्यवहारों को तर्कपूर्ण ढंग से उठाने तथा जंगलों की व्यवस्था तथा उपयोग आदि प्रमुख मुद्दे थे। चिपको आन्दोलन के प्रमुख मुद्दे इस प्रकार हैं[15]–

1. जोशीमठ के पास स्थित रैणी गाँव, गोपेश्वर में स्थित मंडल, तथा ऊखीमठ में स्थित फाटा–रामपुर में रहने वाले ग्रामीणों ने अपनी आजीविका तथा पहाड़ों की संवेदनशीलता का प्रश्न उठाया।
2. बछेर (दशोली) के ग्रामीण महिलाओं ने प्रश्न किया कि सूखे पेड़ काटेंगे तो धरती पर ही गिरेंगे और इन कटे पेड़ों से धरती में सतह पर कटाव होगा जिससे बरसात के दिनों में भूस्खलन और भूक्षरण से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होगी। इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? इसके साथ महिलाओं ने वन निगम से भी पूछा कि यदि जंगलों से सूखे गिरे पेड़ों को निगम बाजारों में बेच देगा तो फिर स्थानीय लोगों का चूल्हा कैसे जलेगा?
3. गोपेश्वर वन पंचायत की महिलाओं ने प्रश्न किया कि सरकारी कर्मचारियों एवं अधिकारीयों को स्थानीय लोगों के परंपरागत जंगलों को क्षति पहुँचाने की छूट क्यों मिली है?
4. जोशीमठ के भ्यूंडार में महिलाओं ने प्रश्न किया कि स्थानीय जंगल का उपयोग यात्रियों को ठण्ड से बचाने हेतु कोयला बनाने हेतु करना अधिक महत्वपूर्ण है या फिर स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने तथा पर्यावरण को सुरक्षित रखने में?
5. डुगरी पैतोली के नारायणबगड़ में वनों का सौदा हुआ और महिलाओं को इस सम्बन्ध में पूछा तक नहीं गया। इस हेतु महिलाओं ने प्रश्न किया कि जब आधी आबादी महिलाओं की है और पशुओं के लिए चारा लाने, इंधन हेतु लकड़ी लाने हेतु जंगल हम जाते हैं तो फिर निर्णयकारी सस्थानों में उन्हें क्यों भागीदारी नहीं मिली है?
6. गोपेश्वर के अनुसूया क्षेत्र में वन निगम के द्वारा नियम–कानूनों को ताक पर रखे जाने पर महिलाओं द्वारा प्रश्न किया गया कि विभागों–निगमों तथा सरकारी कर्मचारियों के लिए नियम कानून क्यूँ नहीं हैं? कर्णप्रयाग के नन्दासैण में सरकारी कर्मचारियों द्वारा बांज के जंगलों के बीच चीड़ के पौधे लगाने पर उनसे प्रश्न पूछा गया कि क्या उन्होंने यही वन विज्ञान पढ़ा है?

चिपको आन्दोलन के माध्यम से महिलाओं ने अपने अधिकारों तथा वनों के संरक्षण–संवर्धन के सन्दर्भ में सरकार से अनेक प्रश्न पूछे तथा दुनियाँ का ध्यान पर्यावरण संरक्षण की ओर आकर्षित किया।

चिपको आन्दोलन के प्रमुख मुद्दे

चिपको आन्दोलनकारियों द्वारा छः मुद्दों को संहिताबद्ध करते हुए वन नीति में मूलभूत परिवर्तन की मांग की गयी थी जो निम्नवत हैं[16] –

1. वन नीति का मुख्य उद्देश्य जल स्रोतों तथा मिट्टी का संरक्षण सम्यक होना चाहिए। हिमालयी क्षेत्रों में जहाँ पर जल ग्रहण क्षेत्र है वहां पर भू–क्षरण एवं भू–स्खलन स्थानों का पता लगाकर, उन क्षेत्रों में पेड़ों के कटान पर पूर्णतः रोक लगाना चहिए।
2. क्षेत्र के वनों का भलीभांति सर्वेक्षण किया जाना चाहिए और इसके साथ ही ग्रामीणों के न्यूनतम आवश्यकताओं के आधार पर हकहलूकों का निर्धारण पुनः किया जाना चाहिए।
3. स्थानीय लोगों को प्रोत्साहन देते हुए युद्धस्तर पर वृक्षारोपण किया जाना चाहिए, जिससे कि जंगलों को हरा–भरा किया जा सके।
4. क्षेत्र के वनों में सभी कार्यों में ठेकेदारी प्रथा को पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। वनों में होने वाले सभी कार्यों को सम्पादित करने हेतु स्थानीय बेरोजगारों की एक समिति बनानी चाहिए, जिसमें ग्राम पंचायत तथा वन पंचायत को भी जोड़ा जाना चाहिए।
5. वनों पर आधारित कुटीर उद्योगों को उन्हीं वन क्षेत्रों में स्थापित किया जाना चाहिए जहाँ से उन्हें कच्चा माल उपलब्ध हो। वृक्षारोपण के दौरान स्थानीय प्रजाति के वनस्पतियों को प्रमुखता दी जानी चाहिए।
6. नदियों के समागम वाले क्षेत्रों जो संवेदनशील हैं उनको चिह्नित कर उन क्षेत्रों में पेड़ों के व्यावसायिक कटान को पूर्णतः प्रतिबंधित करना चाहिए।

चिपको आन्दोलन में मांग की गयी इन मुद्दों की मांग अब पूरी हो चुकी है।

चिपको आन्दोलन का प्रसार

गौरा देवी द्वारा अपने 21 साथियों के साथ प्रारंभ किये गए चिपको आन्दोलन का प्रसार पूर्व में बिहार, पश्चिम में राजस्थान, उत्तर में हिमाचल तथा दक्षिण में कर्नाटक तक फैल गया। चिपको आन्दोलन भारत में तो फैला ही, विश्व में भी इसकी खूब चर्चा हुई। गौरा देवी तथा उनके साथियों द्वारा चलाये गए इस आन्दोलन ने सम्पूर्ण विश्व का ध्यान प्रकृति के

संरक्षण के प्रति आकर्षित किया। समय बीतता गया और पर्यावरण विशेषज्ञों तथा वैज्ञानिकों ने पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन के नाम पर खूब नाम कमाया लेकिन पूरे विश्व को इतना बड़ा आन्दोलन देने वाली गौरा देवी को किसी ने उतना सम्मान नहीं दिया जिसकी वो हकदार थी। उनके नाम को सेमिनारों तथा शोध पत्रों तक ही स्थान मिला। गौरा देवी को उनके जीवन के अंतिम समय में जब पूछा गया कि 'उन्हें इस सात्विक कार्य के लिए कुछ नई उपलब्धि हुई' तो उनका उत्तर था कि 'हमें इस लड़ाई को जीतकर भी कुछ नहीं मिला। अनेक बार लोग हमारे पास आये कि तुम्हारी बात हम विश्व में प्रसारित करेंगे। चिपको आन्दोलन को विश्व आन्दोलन बनायेंगे। आपको इसका यथेष्ठ सम्मान दिलाएंगे। लेकिन कुछ भी नहीं मिला। हमने जो कुछ किया वह हमारा कर्तव्य था। हमने अपने जल, जंगल और जमीन को बचाया। यही सबसे बड़ा काम है। यही सबसे बढा धर्म है[17]"।

चिपको आन्दोलन से प्रभावित होकर देश के विभिन्न भागों में अपने जंगलों को बचाने हेतु प्रयास किये गए। जैसे कि कर्नाटक के उत्तर जिले के ग्रामीणों ने चिपको आन्दोलन से प्रेरणा लेकर वर्ष 1983 में कालसा जंगल को बचाने के लिए सल्कानी के सभी नागरिक, बच्चे, औरतें तथा आदमी कालसा के जंगलों के पेड़ों से लिपट गए। कन्नड़ भाषा में पेड़ों से लिपटने को एपिको कहा जाता है इसीलिए कर्नाटक में इस आन्दोलन को एपिको आन्दोलन कहा गया जो कि चिपको आन्दोलन से प्रेरित था[18]।

चिपको आन्दोलन जैसी घटना ढाई सौ वर्ष पूर्व राजस्थान के खेजड़ली में हो चुकी है जिसमें महिलाओं ने पेड़ों को कटने से बचाने के लिए वे पेड़ों से चिपक गए लेकिन इस घटना को कोई नाम नहीं दिया गया।[19] यह महिलाओं की अपने वनों को अपने बच्चों की भांति रक्षा करना उनका वनों के प्रति बिना किसी छल–कपट, लोक–लालच के प्रेम को ही दर्शाता है। चमोली के रैणी गाँव में महिलाओं द्वारा 2451 पेड़ों को कटने से बचा लिया गया। रैणी गाँव में पुरुषों की अनुपस्थिति में महिलाओं द्वारा अपनी सूझ–बुझ से उठाया गया यह कदम बहादुरी और सराहनीय कार्य था।

निष्कर्ष

चिपको आन्दोलन से यही निष्कर्ष मिलता है कि चिपको आन्दोलन के इतिहास को देखें तो साफ पता चलता है कि इस आन्दोलन के मूल कारण सरकार का स्थानीय लोगों के वनों पर अधिकार का असम्मान तथा वनों का अव्यवहारिक दोहन था। चिपको आन्दोलन ने गढ़वाल में ही नहीं वरन देश तथा विदेशों में लोगों को अपने जंगलों तथा पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होने के लिए प्रेरित किया। आज सम्पूर्ण विश्व जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग जैसे अनेक समस्याओं से ग्रसित है और इनका सम्बन्ध कहीं न कहीं वनों के अंधाधुन कटान तथा वृक्षारोपण न करना है। यदि 70 के दशक में रैणी गांव की महिलाओं ने लोगों का ध्यान अपने वनों, तथा पर्यावरण की तरफ नहीं खींचा होता तो शायद लोगों को इस तथ्य तक पहुँचने में और अधिक समय लगता।

सन्दर्भ सूची

1. चौहान, डा. राजकुमारी : उत्तराखंड महिला भूमिका का इतिहास, समय साक्ष्य, वर्ष–2021, पृ.सं. 52–54
2. चौहान, डा. राजकुमारी : उत्तराखंड महिला भूमिका का इतिहास, समय साक्ष्य, वर्ष–2021, पृ.सं. 52–54
3. डंगवाल, डा. किरन : चिपको आन्दोलन और नारी शक्ति, विनसर पब्लिशिंग कंपनी, पौड़ी गढ़वाल, 1998, पृ.सं. 42–45
4. डंगवाल, डा. किरन : चिपको आन्दोलन और नारी शक्ति, विनसर पब्लिशिंग कंपनी, पौड़ी गढ़वाल, 1998, पृ.सं. 42–45
5. ढौंढियाल, डा. नन्दकिशोर 'अरुण' : (गढ़वाल का जीवनीपरक इतिहास) गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ (सन 1980 ई. के पश्चात), भाग–3, धाध प्रकाशन, 2011, पृ.सं. 72–75
6. चौहान, डा. राजकुमारी : उत्तराखंड महिला भूमिका का इतिहास, समय साक्ष्य, वर्ष–2021, पृ.सं.52–54
7. ढौंढियाल, डा. नन्दकिशोर 'अरुण' : (गढ़वाल का जीवनीपरक इतिहास) गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ (सन 1980 ई. के पश्चात), भाग–3, धाध प्रकाशन, 2011, पृ.सं. 72–75
8. ढौंढियाल, डा. नन्दकिशोर 'अरुण' : (गढ़वाल का जीवनीपरक इतिहास) गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ (सन 1980 ई. के पश्चात), भाग–3, धाध प्रकाशन, 2011, पृ.सं. 72–75
9. चौहान, डा. राजकुमारी : उत्तराखंड महिला भूमिका का इतिहास, समय साक्ष्य, वर्ष–2021, पृ.सं.52–54
10. साहनी, कविता : पर्यावण, वन और वन्य जीव संरक्षण, पोइंटर पब्लिशर्स, जयपुर, वर्ष 2001, पृ.सं.10–113
11. चौहान, डा. राजकुमारी : उत्तराखंड महिला भूमिका का इतिहास, समय साक्ष्य, वर्ष–2021, पृ.सं.52–54
12. डंगवाल, डा. किरन : चिपको आन्दोलन और नारी शक्ति, विनसर पब्लिशिंग कंपनी, पौड़ी गढ़वाल, 1998, पृ.सं.42–45

13. चौहान, डा. राजकुमारी : उत्तराखंड महिला भूमिका का इतिहास, समय साक्ष्य, वर्ष–2021, पृ.सं.52–54
14. बिष्ट, डा. हर्षवंती और तलवाड़, डा. के.एल. : उत्तराखंड के पर्यावरणीय आन्दोलन, HADRI (Himalayan Association for Development & Research Initiative), 2015, पृ.सं. 33–37
15. बिष्ट, डा. हर्षवंती और तलवाड़, डा. के.एल. : उत्तराखंड के पर्यावरणीय आन्दोलन, HADRI (Himalayan Association for Development & Research Initiative), 2015, पृ.सं.33–37
16. पाण्डेय, तेजस्कर और पाण्डेय, बालेश्वर : सामजिक क्रिया और सामाजिक आन्दोलन, रावत पब्लिकेशन्स, 2020, पृ. सं. 228
17. ढौंढियाल, डा. नन्दकिशोर 'अरुण' : (गढ़वाल का जीवनीपरक इतिहास) गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ (सन 1980 ई. के पश्चात), भाग–3, धाध प्रकाशन, 2011, पृ.सं. 72–75
18. पाण्डेय, तेजस्कर और पाण्डेय, बालेश्वर : सामजिक क्रिया और सामाजिक आन्दोलन, रावत पब्लिकेशन्स, 2020, पृ. सं. 228
19. डिमरी, अर्चना : उत्तराखंड आन्दोलन अहिंसात्मक जनांदोलन, समय साक्ष्य, 2020, पृ.सं. 121